

## निशीथसूत्र (फोल्डर नं. ००१२५०)

मुख्य टाईटल

समर्पण

प्रकाशकीय

अप्रकाश्यों का प्रकाशन

प्राक्कथन

निशीथसूत्र : एक समीक्षात्मक अध्ययन

विषयसूची

प्रायश्चित तालिका----- १

उद्देशक १

वेदमोहदय-प्रायश्चित----- ३

२-९. अंगादान संचालन आदि प्रायश्चित----- ८

१०. फूल आदि सचित पदार्थ सूंघने का प्रायश्चित----- १२

११-१४. गृहस्थ द्वारा पदमार्ग आदि बनवाने का प्रायश्चित----- १३

१५-१८. सूई आदि के सुधार-संस्कार कराने का प्रायश्चित----- १४-१७

१०-२२. सूई आदि के निष्प्रयोजन लाने का प्रायश्चित----- १७

२३-२६. सूई आदि अविधि से लेने का प्रायश्चित----- १८

२७-३०. सूई आदि से अनिर्दिष्ट कार्य करने का प्रायश्चित----- १८

३१-३४. सूई आदि अन्य को देने का प्रायश्चित----- १९

३५-३८. सूई आदि अविधि से लौटने का प्रायश्चित----- २०

३०. पात्र सुधारने का प्रायश्चित----- २०

४१. दंड आदि सुधरवाने का प्रायश्चित----- २१

४१-४६. पात्र सीने जोड़ने का प्रायश्चित----- २२-२४

४७-५६. वस्त्र सीने जोड़ने का प्रायश्चित----- २४-२७

५७. गृहस्थ सं धूआ उतरवाने का प्रायश्चित----- २७

५८. पूतिकर्म दोष का प्रायश्चित----- २८

उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश----- २९

किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है अथवा नहीं है----- ३०

उद्देशक २

१-८. दंडयुक्त पादप्रोक्षण सम्बन्धी प्रायश्चित----- ३१

९. इत्रादि सूंघने का प्रायश्चित----- ३५

१०-१३. पदमार्ग आदि स्वयं बनाने का प्रायश्चित----- ३५

१४-१७. सूई आदि को स्वयं सुधारने का प्रायश्चित----- ३६

१८. अल्पतम कठोर भाषा बोलने का प्रायश्चित----- ३६

१९. अल्पतम झूठ बोलने का प्रायश्चित्त-----	३७
२०. अल्प अदत्त लेने का प्रायश्चित्त-----	३८
२१. अंगोपांग प्रक्षालन का प्रायश्चित्त-----	३८
२२. अखण्ड चर्म रखने का प्रायश्चित्त-----	३९
२३. बहुमूल्य वस्त्र रखने का प्रायश्चित्त-----	४०
२४. अभिन्न वस्त्र रखने का प्रायश्चित्त-----	४१
२५-२६. पात्र, दण्ड आदि के सुधार कार्य स्वयं करने का प्रायश्चित्त-----	४१
२७-३१. अन्य की गवेषणा के पात्र लेने का प्रायश्चित्त-----	४२
३२. निमन्त्रित पिंड ग्रहण करने का प्रायश्चित्त-----	४३
३३-३६. दानपिंड ग्रहण करने का प्रायश्चित्त-----	४३-४५
३७. नित्य निवास का प्रायश्चित्त-----	४६
३८. दाता की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त-----	४६-४७
३९. अनुरागी कुलों में दुबारा भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त-----	४७
४०-४२. अन्य भिक्षातरो के साथ गमनागमन का प्रायश्चित्त-----	४८
४३. मनोज जल पीने और अमनोज परठने का प्रायश्चित्त-----	४९
४४. मनोज भोजन खाने, अमनोज परठने का प्रायश्चित्त-----	५०
४५. अधिक आहार अन्य श्रमणों को बिना पूछे परठने का प्रायश्चित्त-----	५१
४६-४७. शय्यातर पिंड सम्बन्धी प्रायश्चित्त-----	५२-५३
४८. शय्यातर का घर जाने बिना गोचरी जाने का प्रायश्चित्त-----	५३-५४
४९. शय्या की सक्रिय दलाली से हार लेने का प्रायश्चित्त-----	५४
५०-५१. शय्यातर संस्तारक के याचना काल के अतिक्रमण का प्रायश्चित्त-----	५५-५६
५२. वर्षा से भीगते पाट आदि को न हटाने का प्रायश्चित्त-----	५६
५३. शय्या-संस्तारक मालिक की बिना आज्ञा अन्यत्र ले जाने का प्रायश्चित्त-----	५७
५४-५५. शय्या-संस्तारक विधिवत् न लौटाने का प्रायश्चित्त-----	५८
५६. खोये गये शय्या-संस्तारक की खोज नहीं करने पर प्रायश्चित्त-----	५८
५७. प्रतिलेखन नहीं करने का प्रायश्चित्त-----	५९-६०
उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश-----	६०-६१
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है अथवा नहीं है-----	६२

### उद्देशक ३

१-१२. अविधि के आहार की याचना करने का प्रायश्चित्त-----	६३-६६
१३. गृहस्थ के मना करने के बाद भी उनके घर गोचरी जाने का प्रायश्चित्त-----	६६
१४. बड़े जीमनवार में भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त-----	६७
१५. अभिहड दोष सेवन का प्रायश्चित्त-----	६७
१६-२१. पात्र परिकर्म का प्रायश्चित्त-----	६८
२२-२७. शरीर परिकर्म का प्रायश्चित्त-----	६९

२८-३३. व्रण चिकित्सा का प्रायश्चित्त-----	७०
३४-३९. घूमडे आदि की शल्य-चिकित्सा का प्रायश्चित्त-----	७०
४०. अपानद्वार से कृमियां निकालने का प्रायश्चित्त-----	७५-७६
४१. नख काटने का प्रायश्चित्त-----	७६
४२-४७. दाढी मूँछ एवं कांख आदि के रोम काटने का प्रायश्चित्त-----	७७
४८-५०. दंतमंजन आदि करने का प्रायश्चित्त-----	७७
५१-५६. ओष्ठ परिकर्म का प्रायश्चित्त-----	७९
५७-६३. चक्षु परिकर्म का प्रायश्चित्त-----	७९
६४-६६. मस्तक आदि के केश काटने का प्रायश्चित्त-----	८०
६७. शरीर से पसीना-मैल हटाने का प्रायश्चित्त-----	८२
६८. आंख, कान, नाक और नख का मैल निकालने का प्रायश्चित्त-----	८२
६९. मस्तक ढांक कर कहीं भी जाने का प्रायश्चित्त-----	८३
७०. वशीकरण करने का प्रायश्चित्त-----	८६
७१-७९. अकल्पनीय स्थानों में मल-मूत्र परठने का प्रायश्चित्त-----	८७
८०. धूप न आने वाले स्थान में मल-विसर्जन करने का प्रायश्चित्त-----	९०
उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश-----	९२
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है अथवा नहीं है-----	९३

#### उद्देशक ४

१-५. राजा आदि को वश करने का प्रायश्चित्त-----	९५
६-१०. राजा आदि की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त-----	९६
११-१५. राजा आदि को आकर्षित करने का प्रायश्चित्त-----	९७
१६-३०. ग्राम-रक्षक आदि को वश में करने आदि का प्रायश्चित्त-----	९८
३१. सचित धान्य या बीज आदि खाने का प्रायश्चित्त-----	१००
३२. गुरु आदि की आज्ञा बिना विगय खाने का प्रायश्चित्त-----	१०१
३३. स्थविरों द्वारा स्थापित कुलों को जाने बिना गोचरी जाने का प्रायश्चित्त-----	१०३
३४. साध्वी के उपाश्रय में अविधि से जाने का प्रायश्चित्त-----	१०४
३५. साध्वी के आने के मार्ग में उपकरण रखने का प्रायश्चित्त-----	१०४
३६. नया कलह करने का प्रायश्चित्त-----	१०५
३७. उपशांत कलह को उभारने का प्रायश्चित्त-----	१०५
३८. मुंह फाड़ कर या आवाज करते हुए हंसने का प्रायश्चित्त-----	१०६
३९-४८. पार्श्वस्थ आदि को साधु देने या उनसे लेने का प्रायश्चित्त-----	१०६
४९-६२,६३. सचित पदार्थों से लिप्त (खरडे) हाथादि से आहार लेने का एवं बिना खरडे हाथ आदि से आहार लेने का प्रायश्चित्त-----	११२
६४-११७. साधुओं द्वारा परस्पर शरीरपरिकर्म करने का प्रायश्चित्त-----	११६
११८-१२७. मल-विसर्जन सम्बन्धी विधि भंग करने का प्रायश्चित्त-----	११८

१२८. प्रायश्चित्त वहन करने वाले के साथ भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त-----	१२१
उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश-----	१२४
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है अथवा नहीं है-----	१२६
<b>उद्देशक ५</b>	
१-११. वृक्षस्कंध के निकट बैठने आदि का प्रायश्चित्त-----	१२८
१२. गृहस्थ से चट्टन सिलवाने का प्रायश्चित्त-----	१२९
१३. चादर से लम्बी डोरियां बांधने का प्रायश्चित्त-----	१२९
१४. पत्ते धोकर खाने का प्रायश्चित्त-----	१३०
१५-१८. लौटाने योग्य पादप्रौंछन सम्बन्धी प्रायश्चित्त-----	१३०
२३. लौटाने योग्य शय्या-संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त-----	१३२
२४. सूत कातने का प्रायश्चित्त-----	१३२
२५-३०. सचित्त, रंगीन या आकर्षक दंड बनाने का प्रायश्चित्त-----	१३३
३१. नवनिर्मित ग्राम, उपनगर आदि में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त-----	१३५
३२. नवनिर्मित खान में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त-----	१३६
३३-३५. वीणा बनाने एवं बजाने का प्रायश्चित्त-----	१३७
३६-३८. दोष वाली शय्या में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त-----	१३८
३९. संभोग-प्रत्ययिक-क्रिया नहीं मानने का प्रायश्चित्त-----	१४४
४०-४२. उपधि परठने के अविवेक का प्रायश्चित्त-----	१४४
४३-५२. रजोहरण सम्बन्धी विधि-विधान भंग करने के प्रायश्चित्त-----	१४६
उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश-----	१५०
उपसंहार-----	१५०
<b>उद्देशक ६</b>	
१-७८. अब्रह्म के संकल्प से किए जाने वाले कृत्यों के प्रायश्चित्त-----	१५२
उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश-----	१५७
<b>उद्देशक ७</b>	
१-३. मैथुनसंकल्प से माला बनाने पहनने का प्रायश्चित्त-----	१५८
४-६. कडा बनाने पहनने का प्रायश्चित्त-----	१५९
७-९. आभूषण बनाने का प्रायश्चित्त-----	१६०
१०-१२. विविध वस्त्र निर्माण एवं उपयोग का प्रायश्चित्त-----	१६१
१३. अंगों के संचालन का प्रायश्चित्त-----	१६३
१४-६७. शरीर परिकर्म के ५४ प्रायश्चित्त-----	१६३
६८-७५. सचित्त पृथ्वी आदि पर बैठने बैठाने का प्रायश्चित्त-----	१६३
७६-७७. गोद में बैठाने आदि का प्रायश्चित्त-----	१६५
७८-७९. धर्मशाला आदि स्थानों में बैठने आदि का प्रायश्चित्त-----	१६५
८०. चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त-----	१६६

८१-८२. मनोज पुद्गल प्रक्षेपण आदि का प्रायश्चित्त-----	१६६
८३-८५. पशु-पक्षियों के अंगसंचालनादि का प्रायश्चित्त-----	१६७
८६-८९. आहार-पानी लेने देने का प्रायश्चित्त-----	१६८
९०-९१. वाचना लेने देने का प्रायश्चित्त-----	१६८
९२. विकारवर्धक आकार बनाने का प्रायश्चित्त-----	१६९
उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश-----	१६९
उपसंहार-----	१६९

#### उद्देशक ८

१-९. अकेली स्त्री के साथ संपर्क करने का प्रायश्चित्त-----	१७१
१०. रात्रि में स्त्री परिषद में अपरिमित कथा करने का प्रायश्चित्त-----	१७४
११. निर्ग्रन्थी से अतिसंपर्क का प्रायश्चित्त-----	१७५
१२. उपाश्रय में रात्रि के समय स्त्रीनिवास का प्रायश्चित्त-----	१७६
१३. स्त्री के साथ रात्रि में गमनागमन का प्रायश्चित्त-----	१७७
१४-१८. मूर्द्धाभिषिक्त राजाओं के महोत्सव आदि स्थलों से आहार लेने का प्रायश्चित्त-----	१७७
उद्देशक का सूत्रक्रमांक युक्त सारांश-----	१८०
उपसंहार-उद्देशक का विषय अन्य आगमों में है या नहीं?-----	१८०

#### उद्देशक ९

१-२. राजपिंड ग्रहण करने का प्रायश्चित्त-----	१८२
३-५. राजा के अंतःपुर में प्रवेश एवं भिक्षाग्रहण सम्बन्धी प्रायश्चित्त-----	१८२
६. राजा का दानपिंड ग्रहण करने का प्रायश्चित्त-----	१८३
७. राजा के कोठार आदि को जाने बिना गोचरी जाने का प्रायश्चित्त-----	१८४
८-९. राजा या रानी को देखने के लिए जाने का प्रायश्चित्त-----	१८५
१०. शिकार के लिए गये राजा से आहार लेने का प्रायश्चित्त-----	१८६
१२. राजा के उपनिवासस्थान के निकट में ठहरने का प्रायश्चित्त-----	१८७
१३-१८. यात्रा में गये राजा का आहार लेने का प्रायश्चित्त-----	१८८
१९. राज्याभिषेक के समय गमनागमन का प्रायश्चित्त-----	१८९
२०. किसी भी राजधानी में बारंबार जाने का प्रायश्चित्त-----	१८९
२१-२७. राजकर्मचारी के निमित्त बना आहार लेने का प्रायश्चित्त-----	१९०
उद्देशक का सूत्रक्रमांक युक्त सारांश-----	१९४
उपसंहार-अन्य आगमों में उक्त-अनुक्त विषय-----	१९५

#### उद्देशक १०

१-४. आचार्य गुरु आदि की अविनय आशातना का प्रायश्चित्त-----	१९६
५. अनंतकाय संयुक्त आहार करने का प्रायश्चित्त-----	१९८
६. आधाकर्मि दोष के सेवन का प्रायश्चित्त-----	१९९
७-८. गृहस्थ को निमित्त बताने का प्रायश्चित्त-----	२००

९-१०. दीक्षित शिष्य के अपहरण का प्रायश्चित्त-----	२०२
११-१२. दीक्षार्थी के अपहरण करने का प्रायश्चित्त-----	२०२
१३. अज्ञात आगंतुक भिक्षु को कारण जाने बिना रखने का प्रायश्चित्त-----	२०३
१४. कलह करके आये भिक्षु के साथ आहार-संभोग करने का प्रायश्चित्त-----	२०४
१५-१८. विपरीत प्रायश्चित्त कहने एवं देने का प्रायश्चित्त-----	२०४
१९-२४. प्रायश्चित्तयोग्य भिक्षु के साथ आहार करने का प्रायश्चित्त-----	२०५
२५-२८. रात्रिभोजन दोष सम्बन्धी प्रायश्चित्त-----	२०६
२९. रात्रि में आहार-पानी के उद्दाल को निगलने का प्रायश्चित्त-----	२०९
३०-३३. ग्लान की सेवा में प्रमाद करने का प्रायश्चित्त-----	२०९
३४-३५. चातुर्मास में विहार करने का प्रायश्चित्त-----	२१०
३६-३७. पर्यूषण निश्चित दिन न करने का प्रायश्चित्त-----	२१२
३८-३९. पर्यूषण के दिन बाल रखने और आहार करने का प्रायश्चित्त-----	२१४
४०. पर्यूषणा-कल्प गृहस्थ को सुनाने का प्रायश्चित्त-----	२१५
४१. चौमासे में वस्त्र लेने का प्रायश्चित्त-----	२१६
उद्देशक का सूत्रक्रमांक युक्त सारांश-----	२१६
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं-----	२१७

#### उद्देशक ११

१-४. निषिद्ध पात्र लेने रखने का प्रायश्चित्त-----	२१९
५-६. पात्र के लिए क्षेत्र सीमा उल्लंघन का प्रायश्चित्त-----	२२२
७. धर्म की निन्दा करने का प्रायश्चित्त-----	२२३
८. अधर्म की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त-----	२२३
९-६२. गृहस्थ के शरीर सम्बन्धी सेवा शुश्रूषा करने का प्रायश्चित्त-----	२२४
६३-६४. भयभीत करने का प्रायश्चित्त-----	२२४
६५-६६. विस्मित करने का प्रायश्चित्त-----	२२५
६७-६८. अपनी सही अवस्था से विपरीत कहने, दिखाने का प्रायश्चित्त-----	२२६
६९. अतिशयोक्तियुक्त प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त-----	२२६
७०. विरुद्ध राज्यों की विरोधावस्था में बारंबार जाने का प्रायश्चित्त-----	२२८
७१-७२. दिवस भोजन की निन्दा एवं रात्रिभोजन की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त-----	२२८
७३-७६. रात्रिभोजन करने का चौभंगीयुक्त प्रायश्चित्त-----	२२९
७७-७८. रात्रि में आहार रखने एवं वासी खाने का प्रायश्चित्त-----	२३१
७९. विशिष्ट आहारार्थ अन्यत्र रात्रि में रहने का प्रायश्चित्त-----	२३३
८०. नैवेद्यपिंड खाने का प्रायश्चित्त-----	२३४
८१-८२. यथाछंद (स्वछंद साधु) की वंदना प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त-----	२३५
८३-८४. अयोग्य को दीक्षा या बड़ी दीक्षा देने का प्रायश्चित्त-----	२३६
८५. असमर्थ से सेवा कराने का प्रायश्चित्त-----	२३९

८६-८९. साधु-साध्वियों के एक स्थान पर ठहरने का प्रायश्चित्त -----	२४०
९०. रात्रि में बासी रखे संयोज्य पदार्थ खाने का प्रायश्चित्त -----	२४१
९१. बालमरण (आत्मघात) की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त -----	२४२
उद्देशक का सूत्रक्रम युक्त सारांश-----	२४४
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है-----	२४५

### उद्देशक १२

१-२. त्रस प्राणियों के बन्धन विमोचन का प्रायश्चित्त-----	२४७
प्रत्याख्यानभंग करने का प्रायश्चित्त-----	२४९
४. सचित नमक पानी आदि से संयुक्त आहार खाने का प्रायश्चित्त-----	२५०
५. सरोमचर्म के उपयोग करने का प्रायश्चित्त-----	२५१
६. वस्त्राच्छादित पीढे पर बैठने का प्रायश्चित्त-----	२५५
७. निर्ग्रन्थी की चद्दर सिलवाने का प्रायश्चित्त-----	२५५
८. पांच स्थावरकाय की विराधना का प्रायश्चित्त-----	२५६
९. वृक्ष पर चढने का प्रायश्चित्त-----	२६१
१०. गृहस्थ के बर्तनों में आहार करने का प्रायश्चित्त-----	२६२
११. गृहस्थ के वस्त्र उपयोग में लेने का प्रायश्चित्त-----	२६३
१२. गृहस्थ के शय्या आसन को उपयोग में लेने का प्रायश्चित्त-----	२६४
१३. गृहस्थ की चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त-----	२६४
१४. पूर्वकर्म दोषयुक्त आहार लेने का प्रायश्चित्त-----	२६५
१५. सचित जल में उपयुक्त बर्तन या हाथ आदि से आहार लेने का प्रायश्चित्त-----	२६६
१६-३१. रूप की आसक्ति से विभिन्न स्थल देखने जाने का प्रायश्चित्त-----	२६७
३२. प्रथम प्रहर के आहार की मर्यादा उल्लंघन का प्रायश्चित्त-----	२७६
३३. दो कोस से आगे आहार ले जाने का प्रायश्चित्त-----	२७८
३४-४१. रात्रि में विलेपन करने का प्रायश्चित्त-----	२७९
४२-४३. गृहस्थ से उपधि वहन कराने का प्रायश्चित्त-----	२८१
४४. महानदी पार करने का प्रायश्चित्त-----	२८२
उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश-----	२८३
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है अथवा नहीं है-----	२८४

### उद्देशक १३

१-८. सचित पृथ्वी आदि पर खडे रहने आदि का प्रायश्चित्त-----	२८६
९-११. अनावृत ऊंचे स्थानों पर खडे रहने आदि का प्रायश्चित्त-----	२८७
१२. गृहस्थ को शिल्पकला आदि सिखाने का प्रायश्चित्त-----	२८९
१३-१६. गृहस्थ की कठोर शब्द आदि से आशातना करने का प्रायश्चित्त-----	२८९
१७-२७. कौतुककर्म आदि के प्रायश्चित्त-----	२९१
२८. मार्गादि बताने का प्रायश्चित्त-----	२९३

२९-३०. धातु एवं धन बताने का प्रायश्चित्त-----	२९४
३१-४१. पात्र आदि में प्रतिबिम्ब देखने का प्रायश्चित्त-----	२९४
४२-४५. वमन आदि औषध प्रयोग करने का प्रायश्चित्त-----	२९६
४६-६३. पार्श्वस्थ आदि की वंदना प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त-----	२९७
६४-७८. उत्पादना के दोषों का प्रायश्चित्त-----	३०५
उद्देशक का सूत्रक्रमांक सारांश-----	३०७
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है-----	३०८

#### उद्देशक १४

१-४. क्रीत आदि छह उद्गमदोषयुक्त पात्र लेने का प्रायश्चित्त-----	३१०
अतिरिक्त पात्र गुरु आदि की आज्ञा बिना देने लेने का प्रायश्चित्त-----	३१३
६-७. अतिरिक्त पात्र देने, न देने का प्रायश्चित्त-----	३१४
८-९. अयोग्य पात्र रखने का एवं योग्य पात्र परठने का प्रायश्चित्त-----	३१६
१०-११. पात्र को सुन्दर या खराब करने का प्रायश्चित्त-----	३१६
१२-१९. पात्रपरिकर्म करने का प्रायश्चित्त-----	३१७
२०-३०. अकल्पनीय स्थानों में पात्र सुखाने का प्रायश्चित्त-----	३१९
३१-३६. त्रसप्राणी, जाले आदि निकाल कर पात्र लेने का प्रायश्चित्त-----	३२१
३७. पात्र में कोरणी (चित्र) करने का प्रायश्चित्त-----	३२३
३८. मार्ग आदि में पात्र की याचना करने का प्रायश्चित्त-----	३२३
३९. परिषद में से उठाकर पात्र की याचना करने का प्रायश्चित्त-----	३२४
४०-४१. पात्र के लिए निवास करने का प्रायश्चित्त-----	३२४
उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश-----	३२५
किन-किन सूत्रों के विषय का वर्णन आगमों में है या नहीं है-----	३२६

#### उद्देशक १५

१-४. सामान्य साधु की आशातना करने का प्रायश्चित्त-----	३२७
५-१२. सचित आम खाने-चूसने सम्बन्धी प्रायश्चित्त-----	३२७
१३-६६. गृहस्थ से शरीरपरिकर्म कराने का प्रायश्चित्त-----	३२९
६७-७५. अकल्पनीय स्थानों में परठने का प्रायश्चित्त-----	३३०
७६. गृहस्थ को आहार देने का प्रायश्चित्त-----	३३२
७७-८६. पार्श्वस्थ आदि के साथ आहार लेन-देन का प्रायश्चित्त-----	३३३
८७. गृहस्थ को वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त-----	३३५
८८-९७. पार्श्वस्थ आदि से वस्त्रादि के लेन-देन करने का प्रायश्चित्त-----	३३५
९८. गवेषणा किए बिना वस्त्र-ग्रहण करने का प्रायश्चित्त-----	३३७
९९-१५२. विभूषा के लिए उपकरण रखने एवं धोने का प्रायश्चित्त-----	३३८
१५३-१५४. विभूषा के लिए उपकरण रखने एवं धोने का प्रायश्चित्त-----	३३८
उद्देशक का सूत्रक्रमांक युक्त सारांश-----	३४०

किन-किन सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में है या नहीं-----	३४१
उद्देशक १६	
१-३. निषिद्ध शय्या में ठहरने का प्रायश्चित-----	३४२
४-११. इक्षु खाने चूसने सम्बन्धी प्रायश्चित-----	३४४
१२. जंगलवासी एवं जंगल में भ्रमणशील व्यक्तियों का आहार लेने का प्रायश्चित-----	३४५
१३-१४. शुद्धाचारी और शिथिलाचारी के अयथार्थ कथन का प्रायश्चित-----	३४६
१५. शुद्धाचारी गण से शिथिलाचारी गण में जाने का प्रायश्चित-----	३४७
१६-२४. कटाग्रही के साथ लेन-देन करने का प्रायश्चित-----	३४८
२५-२६. अनार्यक्षेत्र एवं लम्बे मार्गों में विहार करने का प्रायश्चित-----	३५०
२७-३२. जुगुप्सित कुलों से सम्बन्धित प्रायश्चित-----	३५१
३३-३५. आहार रखने के स्थान सम्बन्धी प्रायश्चित-----	३५२
३६-३७. गृहस्थ के सामने बैठकर आहार करने का प्रायश्चित-----	३५४
३८. आचार्य उपाध्याय की सम्यक् आराधना न करने का प्रायश्चित-----	३५५
३९. मर्यादा से अधिक उपकरण रखने का प्रायश्चित-----	३५६
४०-५०. विराधना वाले स्थानों में मल-मूत्र परठने का प्रायश्चित-----	३६८
उद्देशक का सूत्रक्रमांक युक्त सारांश-----	३६९
किन-किन सूत्रों के विषय का वर्णन अन्य आगमों में है या नहीं है-----	३७०
उद्देशक १७	
१-१४. कुतूहल की अनेक प्रवृत्तियों का प्रायश्चित-----	३७२
१५-१२२. श्रमण-श्रमणी का परस्पर गृहस्थ द्वारा शरीरपरिकर्म करवाने का प्रायश्चित-----	३७५
१२३-१२४. सदृश निर्गन्ध निर्गन्धी को स्थान न देने का प्रायश्चित-----	३७६
१२५-१२७. मालोपहत और मट्टिओपलित दोष का प्रायश्चित-----	३७६
१२८-१३१. सचित पृथ्वी, पानी आदि पर से आहार लेने का प्रायश्चित-----	३७८
१३२. वायुकाय की विराधना से आहार लेने का प्रायश्चित-----	३८०
१३३. तत्काल धोये धोवण लेने का प्रायश्चित-----	३८१
१३४. स्वयं को आचार्य लक्षणों से युक्त होने का प्रचार करने का प्रायश्चित-----	३८६
१३५. गायन आदि करने का प्रायश्चित-----	३८७
१३६-१५५. विभिन्न शब्द श्रवणार्थ गमन एवं आसक्ति का प्रायश्चित-----	३८८
उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश-----	३९०
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है-----	३९०
उद्देशक १८	
१-३२. नौकाविहार सम्बन्धी प्रायश्चित-----	३९२
३३-७३. वस्त्र सम्बन्धी विभिन्न प्रायश्चित-----	३९९
उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश-----	४००
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है-----	४००

## उद्देशक १९

१-७. औषध सम्बन्धी क्रीतादि दोषों का प्रायश्चित्त-----	४०२
८. चार संध्याकाल में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त-----	४०५
९-१०. उत्काल में कालिकश्रुत के उच्चारण का प्रायश्चित्त-----	४०७
११-१२. महा-महोत्सवों में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त-----	४१०
१३. स्वाध्यायकाल में स्वाध्याय नहीं करने का प्रायश्चित्त-----	४१२
१४. अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त-----	४१४
१५. स्वशरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त-----	४१८
१६-१७. विपरीत क्रम से आगमों की वाचना देने का प्रायश्चित्त-----	४१९
१८-२१. अयोग्य को वाचना देने और योग्य को वाचना न देने का प्रायश्चित्त-----	४२२
२२. वाचना देने में पक्षपात करने का प्रायश्चित्त-----	४२५
२३. अदत्त वाचना ग्रहण करने का प्रायश्चित्त-----	४२५
२४-२५. गृहस्थ के साथ वाचना के आदार-प्रदान करने का प्रायश्चित्त-----	४२६
२६-३५. पार्श्वस्थ आदि के साथ वाचना के आदान-प्रदान का प्रायश्चित्त-----	४२७
उद्देशक का सूत्रक्रमांक युक्त सारांश-----	४२९
उपसंहार-उद्देशक की विशेषता	
किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है-----	४२९

## उद्देशक २०

१-१४. सकपट निष्कपट आलोचक के प्रायश्चित्त-----	४३१
१५-१८. प्रायश्चित्त की प्रस्थापना में पुनः प्रतिसेवना के आरोपण-----	४४०
१९-२४. दो मस के प्रायश्चित्त की स्थापित आरोपणा-----	४४५
२५-२९. दो मास प्रायश्चित्त की प्रस्थापिता, आरोपणा एवं क्रमिकवृद्धि-----	४४८
३०-३५. एक मास प्रायश्चित्त की स्थापित आरोपणा-----	४४९
३६-४४. एक मास प्रायश्चित्त की प्रस्थापिता, आरोपणा एवं क्रमिकवृद्धि-----	४५१
४५-५१. मासिक और दो मासिक प्रायश्चित्त की प्रस्थापिता, आरोपणा एवं क्रमिकवृद्धि-----	४५३
उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश-----	४५५
उपसंहार-----	४५६